राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	भवानी सिंह बनाम लोक मान्य तिलक हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/10/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस दोनों अपील पत्रावलीयो पर सुनी गयी। पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 06/11/2025 को पेश हो।	
06/11/25	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 21/05/2025 पारित करते हुये तहसीलदार पावटा को विवादग्रस्त आराजीयात का राजस्व बोर्ड के नियमानुसार पक्षकारान को सूचित कर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये, जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 06/08/2025 पारित की गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 21/05/2025 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 08/08/2024 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष पृथक-पृथक दो अपीले क्रमश: 1380/2025 एवं 1381/2025 प्रस्तुत की गयी है। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। चूँकि दोनों अपीले एक ही वाद में पारित निर्णय व डिक्रीयो के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे पक्षकारान भी समान है। अत: इस एक ही निर्णय के माध्यम से दोनों अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति दोनों अपील पत्रावलीयो पर सलग्न की जावे। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान की तामील सीधे ही अखबार के माध्यम से कराई गयी। अपीलार्थी भवानी सिंह सेना में कार्यरत है एवं सोभाग कँवर विधवा महिला है एवं शेष नाबालिक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर एवं अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर ही प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 21/05/2025 पारित किये जाने में क़ानूनी त्रुटी कारित की है तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कुछ पक्षकारो द्वारा आपत्ति पेश की गयी, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विश्लेषण किये ही ख़ारिज फरमा दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा किसी भी पक्षकार को नोटिस/सूचना नही दी गयी एवं तहसीलदार द्वारा सरसरी तौर पर तैयार कुर्रेजात रिपोर्ट पर किसी भी पक्षकार के	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

हस्ताक्षर नही है | तहसीलदार द्वारा तैयार कुर्रेजात रिपोर्ट में अपीलार्थी का पता अलग है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दावे में एक ही गाँव के व्यक्ति बताये गये है | रेस्पो. संख्या 1 लोक मान्य स्टेंजर परचेजर है, जो विवादग्रस्त भूमि का वाणिज्यिक उपयोग करना चाहता है | अपीलार्थी जिस भूमि पर काबिज है वह भूमि अपीलार्थी को नही दी गयी | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को कुर्रेजात पर आपत्ति प्रस्तुत किये जाने का अवसर प्रदान किये बगैर ही मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 06/08/2025 पारित किये जाने में क़ानूनी त्रुटी कारित की है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लिए बगैर एवं क़ानूनी प्रावधानों के विपरित जाकर तथा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 21/05/2025 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 06/08/2025 पारित किये जाने में तथ्यात्मक एवं क़ानूनी त्रुटी कारित की है | अत: अपील स्वीकार फरमाई जावे |

अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष किये गये कथन अपील मीमो के अंकित तथ्यों के बाहर जाकर किये गये है | अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में अंकित किया गया अपीलार्थी का पता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये दावे में अंकित अनुसार है | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तीसरे व्यक्ति द्वारा दिये गये तर्क अथवा जवाब का लाभ अपीलार्थी नही उठा सकता है | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ख़ारिज की गयी आपत्ति की इस न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत नही की गयी है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लेकर सही रूप से प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 21/05/2025 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 06/08/2025 पारित किये है, जिसमे तथ्यात्मक एवं क़ानूनी त्रुटी नही होने से अपील अपीलार्थी ख़ारिज फरमाई जावे |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | अपीलार्थी की मुख्य रूप से आपत्ति यही है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनकी विधिक प्रक्रिया अनुसार तामील नही करवायी गयी है एवं अपीलार्थी के कब्जे की भूमि उन्हें प्रदान नहीं की गयी है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत आपत्तियो का विश्लेषण किये बगैर ही अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित की गयी है, जो गलत है | इस सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक एवं अन्तिम निर्णय व डिक्रीयो का अवलोकन किये जाने से अपीलार्थीयां की आपत्ति उचित प्रतीत होती है एवं चूँकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री के माध्यम से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	भवानी सिंह बनाम लोक मान्य तिलक हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

विवादित भूमि का राजस्व बोर्ड के नियमानुसार पक्षकारान को सूचित कर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश प्रदान किये गये है, जिसमे कोई विधिक त्रुटी जाहिर नही होती है | अत: प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 1381/2025 स्वीकार की जाती है | जहाँ तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री का प्रश्न है तो इस सन्दर्भ में अपीलार्थी की आपत्ति उचित प्रतीत होती है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत आपत्ति बाबत कुर्रेजात का विधिसम्मत निस्तारण किये बगैर ही अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित कर दिये गये, जबकी विधि के प्रावधानों के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियो का विश्लेषण/विवेचनात्मक निस्तारण करने के उपरान्त ही अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित किया जाना आवश्यक होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 06/08/2025 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्राप्त आपत्तियो पर उभयपक्षकारान की समुचित सुनवाई कर बाद निस्तारण आपत्ति विधिसम्मत अन्तिम निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 06/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर